न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 260/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. महेन्द्रसिंह पुत्र भीखसिंह 2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भीखसिंह 3. सरदारकंवर पत्नी भीखसिंह जाति–चारण निवासी– खिनावडी, तहसील जैतारण जिला पाली।		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व/2016/825 दिनांक 23.12.2016 पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 की की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 7 सितम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जैतारण के द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2016/9478 दिनांक 15.12.2016 के जरिये एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम खिनावडी के अलग–अलग खसरान भूमि में गैर मुमकीन रास्ता/चालू स्थाई रास्तो के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही किये जाने बाबत निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/2016/825 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा उक्त ग्राम की वर्णित भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता व नक्शें में लाल स्याही से अंकन के आदेश तहसीलदार जैतारण को दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खसरा संख्या 178/1 के अभिलिखित खातेदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त खसरान भूमि की भूमि मेंसे किसी रास्ते हेतु कोई मांग करते हुए किसी खातेदार ने कोई आवेदन नहीं किया था, तहसीलदार ने अपनी मनमर्जी से प्रकरण बनाकर पेश कर दिया जिस पर निर्णय करने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं थे। इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार को इस तरह के आदेश के जरिये उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है व न ही उसकी भमि की किस्म परिवर्तित की जा सकती है। भमि की किस्म

बदल दिये जाने से भविष्य में कई तरह के नये विवाद पैदा करेगा। अपीलाधीन आदेश के जरिये 178/1 का 15 बिस्वा रकबा भूमि को रास्ता दर्ज कर उसे नया नम्बर 178/2 दर्ज करने के आदेश दिये गये जबकि ख0सं0 178/1 की राजस्व रेकर्ड नक्शें में ही पर भी कोई तरमीम की हुई ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेकर्ड का अवलोकन किये ही जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय ने जिस राजस्व विभाग के परिपत्र को आधार मानकर आदेश पारित किया है उस परिपत्र की ऐसी कोई मंशा नहीं थी और उसमें न ही ऐसे निर्देश दिये गये थे। कोई भी परिपत्र कानून के मूल आधार से बाहर जाकर जारी नहीं किया जा सकता है। जब काश्तकारी अधिनियम में रास्ते सम्बन्धी धारा 251 के प्रावधान पहले से है तो इस तरह के परिपत्र का कोई महत्व हीं नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र की आड में सार्वजनिक रास्तों का अंकन करने में निर्धारित प्रकिया की कोई पालना नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालयद्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना को नष्ट करने वाला अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त परिपत्र की कानून में कोई अहमियत नहीं है व न ही उसके आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं खसरा संख्या 178/1 ग्राम खिनवाडी बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 23.12.2016 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, जैतारण की ओर से धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत जरिये क्रमांक भू0अ0/2016/9478 दिनांक 15.12.2016 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे ग्राम खिनवाडी की विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में गैर मुमकीन रास्तों/चालू स्थाई रास्तों को राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश पारित किये है। वो उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2016 में ग्राम खिनवाडी के उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त भूमि के मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने हेतु व्यापक जनहित व मौके पर आमजन की समस्या को मध्येनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है।

फिर भी अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेखित की गई आपत्ति के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2016 के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि की मौका जॉच करते हुए आवश्यक कार्यवाही करे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नही करें। निर्णय आज दिनांक 7 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर